

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

कन्हैयालाल पिता लक्षमण भोई निवासी बडीसादडी
बनाम

श्रीमती हीरीबाई पत्नि गेहरीलाल भोई निवासी बडीसादडी

प्रकरण संख्या 24/2020 (रा.अ.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.11.25	<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष बावजूद सूचना के अनुपस्थित। रुक-रुक कर तीन चार बार आवाजें लगवाने पर भी उभय पक्ष तथा उनके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। पुनः न्यायालय समय में रुक-रुक कर आवाजें लगवाई गई फिर भी उभय पक्ष तथा उनके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ कार्यालय के अभिलेख के अधीनस्थ कार्यालय को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> 	